हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हु
12/9/17 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष का जान उपस्थित आये। प्रकरण में वाकत बकुलाल की बहस सुनी गई। सुनकर फैसले हेतु पत्रावली दिनांक 19/9/17 को पेश हो। उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर)	
19/9/17 पत्रावली पेश हुई। बकुलाल उप० आये। प्रकरण में खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर वाद टाईप शुदा शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णित सुनाया। नकल कार्यवाही बाद तामील दाखिल दफ्तर खुले इजलास में सुनाया गया। उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर)	

Scanned by CamScanner

हाल राजस्व रिकार्ड में विभाजन के बाद हाल ख0न0 280, 393, 394 दर्ज है जिनका कुल रकबा 2 बीघा 15 बिसवा बनता है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने अपना रकबा का बेचान कर दिया था इसलिए उक्त रकबा केतागण के कब्जे में है और बयनामा के आधार पर उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जबकि केतागण को 2 बिसवा रकबा कम प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण ने ही तकाश्मा अपनी सहमति से कराया था और विभाजन में यही ख0न0 उनके खाते में दर्ज किये गये थे। प्रार्थीगण का अब यह उज्र करना न्यायसंगत नहीं है कि अप्रार्थीगण के ख0न0 विशेष के ही खातेदार क्यों घोषित किया गया सभी ख0न0 में से खातेदार घोषित किया जाना था। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर प्रार्थीगण के प्रा0 पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह न्यायालय प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रा0 पत्र को खारीज योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थना पत्र को प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध नहीं कर पाने की स्थिति में अन्तर्गत धारा 152 जा0दी0 खारीज योग्य पाये जाने पर न्यायालय द्वारा यह प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। प्रार्थना पत्र शीर्षक निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

आज दिनांक 19.09.2017 को यह प्रार्थना पत्र निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

(महेश चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक मुण्डावर(अलवर)

Scanned by CamScanner